रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 16, 2014/माघ 27, 1935

No. 345] NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 16, 2014/MAGHA 27, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2014

का.आ. 410(अ).—राष्ट्रपति, श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं उनकी मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हैं ।

आदेश

मैं, प्रणब मुखर्जी, भारत का रा-ट्रपति, दिल्ली रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् तथा मुझे प्राप्त हुई अन्य सूचना से, मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 239कक के उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र कहा गया है) की सरकार नहीं चलाई जा सकती है;

अतः, अब संविधान के अनुच्छेद 239कख और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं यह उद्घो-णा करता हूं कि मैं—

(क) भारत के रा-ट्रपति के रूप में रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के सभी कृत्य और उसमें निहित या रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां अपने में धारण करता हूं;

(ख) यह घो-णा करता हूं कि रा-ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधान मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आनु-ंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूं जो इस उद्घो-णा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्:—

(i) इस उद्घो-णा के खंड (क) के आधार पर अपने को धारित कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के रा-ट्रपति के रूप में मेरे लिए संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239कक के उपबंधों के अनुसार रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासन करने के लिए उपराज्यपाल के माध्यम से उस सीमा तक कृत्य करना विधिपूर्ण होगा, जो मेरे द्वारा उचित समझे जाएं;

(ii) रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239कक के निम्नलिखित उपबंधों का प्रवर्तन इसके द्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात् :—

संपूर्ण रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधियां बनाने हेतु विधान सभा की शक्ति से संबंधित उक्त अनुच्छेद के खंड (3) का उपखंड (क);

विधान सभा के मंत्रिपरि-ाद् के गठन से संबंधित रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए उक्त अनुच्छेद का खंड (4);

उक्त अनुच्छेद का खंड (5), जहां तक उसका संबंध रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से है; और

विधान सभा की मंत्रिपरि-ाद् के सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित उक्त अनुच्छेद का खंड (6);

(iii) दिल्ली रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में, दिल्ली रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) के निम्नलिखित उपबंधों का प्रवर्तन इसके द्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात् :—

धारा 3 से धारा 14 (दोनों सम्मिलित);

धारा 17 और धारा 18;

धारा 20 से धारा 37 (दोनों सम्मिलित); और

धारा 42 से धारा 45 (दोनों सम्मिलित);

धारा 48 और धारा 54;

(iv) संविधान में उपराज्यपाल के प्रति किसी निर्देश का, रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में, अर्थ रा-ट्रपति के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा और रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के विधान मंडल के प्रति उसमें के किसी निर्देश का, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद् के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा और विशि-टतया, अनुच्छेद 239ख में रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल और विधान मंडल के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः रा-ट्रपति और संसद् अथवा उसके सदनों के प्रति निर्देश हैं के रूप में लगाया जाएगा :

परंतु इसमें की कोई बात, रा-ट्रपति को इस खंड के उपखंड (i) के अधीन कार्य करने से उस सीमा तक निवारित नहीं करेगी जो वह रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल के माध्यम से उचित समझे;

(v) संविधान में रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के विधान मंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या बनाई गई विधियों के प्रति किसी निर्देश का अर्थ इस रूप में लगाया जाएगा कि उसमें इस उद्घो-णा के आधार पर, संसद् द्वारा या रा-ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दि-ट अन्य प्राधिकारी द्वारा, रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाए गए अधिनियमों या बनाई गई विधियों के प्रति निर्देश सम्मिलित है और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उतने भाग का, जितना राज्य विधियों को लागू होता है, किसी ऐसे अधिनियम या विधि के संबंध में वही प्रभाव होगा मानो वह रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के विधान मंडल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली
16 फरवरी, 2014

प्रणब मुखर्जी
रा-ट्रपति

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2014

S.O. 410(E).—The President is pleased to accept the resignation of Shri Arvind Kejriwal, Chief Minister, National Capital Territory of Delhi along with his Council of Ministers with immediate effect.

ORDER

Whereas, I, Pranab Mukherjee, President of India, have received a report from the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of the National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as the National Capital Territory) cannot be carried on in accordance with the provisions of article 239AA of the Constitution;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 239AB of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the National Capital Territory and all powers vested in or exercisable by the Lieutenant Governor of the National Capital Territory;

(b) declare that the powers of the Legislature of the National Capital Territory shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Lieutenant Governor for administering the National Capital Territory in accordance with the provisions of article 239 and article 239AA;

(ii) the operation of the following provisions of article 239AA of the Constitution in relation to the National Capital Territory is hereby suspended, namely:—

sub-clause (a) of clause (3) of the said article relating to power of Legislative Assembly to make laws for the whole or any part of the National Capital Territory;

clause (4) of the said article relating to constitution of Council of Ministers for the Legislative Assembly and their power to aid and advice the Lieutenant Governor of the National Capital Territory;

clause (5) of the said article so far it relates to appointment of Chief Minister and other Ministers for the National Capital Territory; and

clause (6) of the said article relating to the collective responsibility of Council of Ministers to the Legislative Assembly;

(iii) the operation of the following provisions of the Government of the National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) in relation to the National Capital Territory of Delhi is hereby suspended, namely:–

sections 3 to 14 (both inclusive);

sections 17 and 18;

sections 20 to 37 (both inclusive); and

sections 42 to 45 (both inclusive);

sections 48 and 54;

(iv) any reference in the Constitution to the Lieutenant Governor shall, in relation to the National Capital Territory, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the National Capital Territory shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and. in particular, the references in article 239B to the Lieutenant Governor and to the legislature of the National Capital Territory, shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively :

Provided that nothing herein shall prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Lieutenant Governor of the National Capital Territory;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the National Capital Territory shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the National Capital Territory, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State Laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the National Capital Territory.

New Delhi
16th February, 2014.

PRANAB MUKHERJEE
President

आदेश

मेरे द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 239कख के अधीन और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में, तारीख 16 फरवरी, 2014 को जारी उद्घो-णा के खंड (ग) के उपखंड (i) के अनुसरण में, मैं यह निदेश देता हूं कि दिल्ली रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल में निहित या उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जो उक्त उद्घो-णा के खंड (क) के आधार पर रा-ट्रपति द्वारा धारण की गई हैं, रा-ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

नई दिल्ली
16 फरवरी, 2014

प्रणब मुखर्जी
रा-ट्रपति

[फा. सं. यू-11013/3/2013-यूटीएल]

अ.कु. सक्सेना, संयुक्त सचिव

ORDER

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this, the 16 day of February, 2014, by me under article 239AB of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby direct that all the functions of the Government of the National Capital Territory of Delhi and all the powers vested in or exercisable by the Lieutenant Governor of the National Capital Territory under the Constitution or under any law in force in the National Capital Territory, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Lieutenant Governor of the National Capital Territory.

New Delhi
16th February, 2014.

PRANAB MUKHERJEE
President

[F. No. U-11013/3/2013-UTL]
A. K. SAXENA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.